By–email

पत्रांक–म०भो० / को०–09 / 2013...361...... /

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति

प्रेषक,

निदेशक,
मध्याह्न भोजन योजना,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला प्रभारी पदाधिकारी,
मध्याह्न भोजन योजना,
बिहार।

पटना, दिनांक ...01.04.13...

विषयः प्लेट एवं गिलास क्रय करने के संबंध में दिशा–निर्देश।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के विभिन्न विद्यालयों में प्लेट तथा गिलास का अभाव है। अतः राज्य के विभिन्न विद्यालयों में मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने हेतु बच्चों की संख्या के अनुपात में पर्याप्त संख्या में स्टील थाली एवं गिलास उपलब्ध नहीं रहने के कारण बच्चों को मध्याह्न भोजन परोसने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

2. निदेशालय द्वारा मध्याह्न भोजन के लिय राज्य के सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में वर्ग I-VIII में पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चों के लिये चरणबद्ध रूप से पर्याप्त संख्या में स्टील थाली एवं 400, 800 तथा 800 से अधिक बच्चों पर क्रमशः 25, 50 तथा 75 स्टील गिलास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

3. बाजार सर्वे के क्रम में स्टेन्डर्ड क्वालिटी की स्टील थाली एवं स्टील गिलास का दर क्रमशः 100 रू० तथा 30 रू० पाया गया है। इस आलोक में निदेशालय स्तर पर राज्य भर में क्रय हेतु स्टील थाली एवं स्टील गिलास का अधिकतम क्रय मूल्य क्रमशः 100 रू० तथा 30 रू० निर्धारित की गई है। मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय द्वारा स्टील थाली एवं गिलास का नमूना जिला को उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि पूरे राज्य में थाली एवं गिलास की क्वालिटी में एकरूपता बनी रहे। किन्तु प्रत्येक जिला में स्टील थाली एवं गिलास की न्यूनतम दर निविदा के माध्यम से निर्धारित की जाएगी तथा न्यूनतम दर पर ही क्रय समिति के द्वारा थाली एवं गिलास का क्रय किया जाएगा।

4. प्रथम चरण में उच्च प्राथमिक (Middle) विद्यालयों को थाली उपलब्ध कराया जाएगा तथा सभी उच्च प्राथमिक विद्यालयों को प्लेट तथा गिलास से आच्छादित करने के बाद प्राथमिक विद्यालयों को प्लेट तथा गिलास से पूर्णतः आच्छादित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया

5. उल्लेखनीय है कि विद्यालयों में कुल नामांकित छात्र / छात्राओं के 50 % बच्चों को आधार मानते हुए प्लेट तथा गिलास उपलब्ध कराये जाना है।

0/c

6. प्लेट तथा गिलास उपलब्ध करने के क्रम में इस बात का ध्यान रखा जाए कि जिन विद्यालयों को प्लेट उपलब्ध कराया जा रहा है उन्हें प्लेट तथा गिलास से नामांकित छात्र/छात्राओं के 50 % बच्चों को पूर्णतः आच्छादित कर दिया जाए।

7. विद्यालय में उपलब्ध प्लेट तथा गिलास की सुरक्षा की जिम्मेवारी संयुक्त रूप से रसोईया–सह–सहायक एवं शिक्षक की तथा विशेष रूप से प्रधानाध्यापक की होगी।

8. विद्यालयों/शिक्षण केन्द्रों/अन्य मध्याह्न भोजन इकाईयों को थालियाँ एवं गिलासों की आपूर्ति करने हेतु जिला स्तर पर अधिप्राप्ति समिति (Procurment committee) समिति निर्णय लेगी, जिसका गठन निम्न प्रकार होगा :–

i. जिला शिक्षा पदाधिकारी – अध्यक्ष

ii. जिला प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना – सचिव

iii. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, लेखा(बि०शि०से०) – सदस्य

iv. जिला लेखा पदाधिकारी – सदस्य

v. जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत एक वरीय उप समाहर्त्ता – सदस्य

उक्त अधिप्राप्ति समिति (Procurment committee) द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव पर जिला पदाधिकारी की स्वीकृति लिया जाना अनिवार्य होगा।

9. राज्य सरकार द्वारा मध्याह्न भोजन योजना अन्तर्गत विभिन्न विद्यालयों के लिए प्लेट तथा गिलास क्रय करने हेतु चरणबद्ध तरीके से शीघ्र ही राशि उपलब्ध कराये जाने की संभावना है।

10. अतः जिला के विभिन्न विद्यालयों हेतु उपर्युक्त के आलोक में प्लेट तथा गिलास क्रय करने हेतु आवश्यक कार्रवाई शीघ्र प्रारंभ कर दिया जाए। सुलभ प्रसंग हेतु प्लेट तथा गिलास की विशिष्टियाँ निम्नवत् अंकित की जाती हैः–

क्रम सं०	स्टील प्लेट	साईज	न्यूनतम वजन	क्वालिटी	सभी थाली के पीछे **मध्याह्न भोजन योजना** तथा जिला का नाम Engrave होना अनिवार्य है।	अधिकतम दर
1	तीन खाना वाला	10"/12" (4 नं०)	380 gm	Coil sheet		100 रू० (Vat सहित)
2	स्टील गिलास की विशिष्टियाँ।	साईज	न्यूनतम वजन	क्वालिटी	सभी गिलास के पीछे **मध्याह्न भोजन योजना** तथा जिला का नाम अंकित होना अनिवार्य	अधिकतम दर
		डायमीटर–3" गहराई–4"	125 gm	Coil sheet		30 रू० (Vat सहित)

11. सभी जिला प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, बिहार विशेष दूत को भेज कर प्लेट तथा गिलास का नमूना निदेशालय से प्राप्त कर लें।

विश्वासभाजन

30.3

(आर० लक्ष्मणन)
निदेशक,
मध्याह्न भोजन योजना,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक ..../ पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपि : लेखा पदाधिकारी/लेखापाल, मध्याह्न भोजन योजना को निदेश दिया जाता है कि न्यू स्टील हाउस, कंकड़बाग रोड, पटना से स्वीकृत नमूना के अनुसार 50 थाली तथा 50 गिलास क्रय कर भंडार में संचित करें तथा एक–एक थाली तथा गिलास का नमूना प्रत्येक जिला को उपलब्ध करायें।

(आर० लक्ष्मणन)
निदेशक,
मध्याह्न भोजन योजना,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 361 / पटना, दिनांक 01.04.13

प्रतिलिपि : सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(आर० लक्ष्मणन)
निदेशक,
मध्याह्न भोजन योजना,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 361 / पटना, दिनांक 01.04.13

प्रतिलिपि : सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(आर० लक्ष्मणन)
निदेशक,
मध्याह्न भोजन योजना,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 361 / पटना, दिनांक 01.04.13

प्रतिलिपि : श्री दिग्विजय कुमार, डाटा पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना को सूचनार्थ एवं निदेशालय के वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

(आर० लक्ष्मणन)
निदेशक,
मध्याह्न भोजन योजना,
बिहार, पटना।